जे.पी.आर.5–814

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
*ईमेल – **se_comml@yahoo.in***

क्र0 जेपीडी / अधी.अ. (वा.) / सी– I / एफ.4(392) / / प्रे0 1584 जयपुर, दिनांक– 25.10.2016

आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शन के भार का सघन जाँच अभियान।

कृषि उपभोक्ताओं द्वारा बढे हुये भार के निरन्तर उपयोग से निगम के विद्युत तंत्र पर अनावश्यक भार पडता है व ट्रांसफार्मरों के जलने के प्रकरणों में भी बढोत्तरी होती है एवं निगम को राजस्व की हानि होती है। इस दिशा में निगम द्वारा आदेश क्रमांक क्र0 जेपीडी / अधी.अ. (वा.) / सी– I / एफ.4(392) / प्रे0 1168 जयपुर, दिनांक– 07.09.2016 (जेपीआर 5–807) द्वारा कृषि कनेक्शनओं के अनाधिकृत बढे हुये भार की **"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"** लागू की गयी थी जिसके अन्तर्गत इस योजना की अवधि के दौरान (1जुलाई 2016 से 30 नवम्बर 2016) कृषि कनेक्शनों का विद्युत भार बढा हुआ पाये जाने पर कोई पैनल्टी राशि नही ली जाकर केवल धरोहर राशि जमा करवाकर बढे हुये भार को नियमित किये जाने का प्रावधान है। किन्तु यह पाया है कि उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना के प्रति कोई रूचि ना दिखाकर उनके द्वारा इस योजना का लाभ नही उठाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निगम द्वारा कृषि कनेक्शनों के बढे हुये भार को नियमित करने के उद्धेश्य से सघन जाँच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत सभी क्षेत्र अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि 20 नवम्बर 2016 तक अपने अधीनस्थ क्षेत्र के शत–प्रतिशत कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार का सत्यापन किया जाकर उनको नियमित कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

25/X/16.

(के .के. पुरोहित)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)